न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री कैलास चन्द्र लखारा , आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/404/2018

उनवान

1. छगु पत्नी छोटु धाकड निवासी माताजी का खेडा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट्स

बनाम

1. सोनाली पत्नी दिनेश धाकड, निवासी सिंहाणा, तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अपील विरूद्व उपखण्ड अधिकारी, जहाजपुर के प्रकरण संख्या 87/2018 निर्णय एवं डिकी दिनांक 18.5.2018

अधिवक्तागण :-

1. श्री बी एल बापना, अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री दिनेश धाकड, अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1

निर्णय

दिनांक 7.2.2020

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1/वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा भगवानपुरा पटवार हल्का फलासिया तहसील जहाजपुर में कृषि आराजी खसरा संख्या 992/861 रकबा 04 बीघा 02 बिस्वा वर्तमान राजस्व

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

रेकार्ड में वादीया के नाम पर बसामलात दर्ज होकर उक्त कुलिया आराजी में मौके पर वादीया ही पूर्ण रूप से काबिज काश्त है। वादीया ने उपखण्ड अधिकारी, जहाजपुर के न्यायालय में वादग्रस्त आराजी की पत्थरगढी बाबत वाद पत्र प्रस्तुत किया । जिसके प्रकरण संख्या 171/2017 होकर माननीय न्यायालय ने दिनांक 17.10.2017 को पत्थरगढी का आदेश पारित किया । जिस पर दिनांक 11.4.2018 को हल्का गिरदावर बावडी द्वारा मोके पर पत्थरगढी की गई और मौके पर पत्थर बतौर निशानात स्थापित किये गये एवं मौका पर्चा बनाया गया । दौराने पत्थरगढी गिरदावर महोदय ने वादिया को बताया कि वादग्रस्त आराजी की एक ओर की मेड पर से प्रतिवादिया का का लगभग 1 बीघा 07 बिस्वा पर कब्जा है। जिसने शक्ति के बल पर कब्जा कर रखा है। वादिया ने मौका पर्चा पत्थरगढी की नकल प्राप्त करने के उपरान्त दिनांक 20.4.2018 को प्रतिवादीया को वादीया के हक हिस्से की आराजी से कब्जा छोडने बाबत कहा तो प्रतिवादिया ने कहा कि 2–3 दिन के अन्दर कब्जा छोड देगी। उसके उपरान्त जब वादिया ने प्रतिवादिया को कब्जा छोडने के लिए कहा तो वह एवं उसके परिजनों के साथ आई एवं झगडा करने लगी तथा मरने मारने पर आमादा हुई व कहा कि कब्जा नहीं हटाउंगी । प्रतिवादिया प्रभावशाली और लडाकू महिला है। अतः वादग्रस्त आराजी में वादिया के हक हिस्से की आराजी में से प्रतिवादिया द्वारा 1 बीघा 07 बिस्वा आराजी पर अनाधिकृत कब्जे को प्रतिवादिया से वादिया को दिलाये जाने की डिक्री पारित की जावे एवं प्रतिवादिया को पाबन्द किया जावे कि वह वादिया की वादग्रस्त आराजी में किसी प्रकार से दखलन्दाजी न तो स्वयं करें एवं न ही किसी अन्य से करावे।

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

2. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा वादी का वाद पत्र स्वीकार किया । जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 18.5.2018 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प में निर्णय पारित किया गया है दिनांक 7.5.2018 को वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर दिनांक 18.5.2018 की तारीख पेशी वास्ते प्रतिवादीगण के सम्मन तामील व जवाब नियत की गई। उसी दिन अपीलार्थीया को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया । रेस्पोडेण्ट अपीलार्थीया की कब्जेसुदा आराजी पर उसे बेदखल करने की धमकी देने लगी जिस पर अपीलार्थीया द्वारा अधिवक्ता से सम्पर्क कर नकल हेतु आवेदन किया । दिनांक 6.11.2018 को अपीलाधीन निर्णय की नकल प्राप्त हुई। अपीलार्थीया गरीब काश्तकार होकर वृद्ध एवं अपनढ होने से कानून की प्रक्रियाओं की जानकारी नहीं रखती है व दिनांक 18.5.2018 से 6.11.2018 का समय कण्डोन किया जावे।

5. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि रेस्पोडेण्ट ने अपने वाद के समर्थन में न तो साक्ष्य ही प्रस्तुत की एवं न ही शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। अधीनस्थ न्यायालय को विधिक प्रक्रिया के तहत जवाब दावा लिया जाकर तनकियात कायम करनी चाहिये थी।

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रकिया अपनाकर अपीलाधीन निर्णयव व डिकी पारित नहीं की है इसलिए अपीलाधीन निर्णय व डिकी निरस्त योग्य है।

6. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलार्थीया 70 वर्ष की वृद्ध महिला होकर अनपढ महिला है जो अक्सर बीमार रहती है । अपीलार्थीया को न तो सम्मन की प्रति प्राप्त हुई है एवं न ही दावे की कोई जानकारी थी। जिससे अपीलार्थीया अपना पक्ष अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत नहीं कर पाई थी।

7. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि रेस्पोडेण्ट द्वारा पत्थरगढी का आदेश न्यायालय से प्राप्त कर दिनांक 11.4.2018 को मौके पर पत्थरगढी कराई परन्तु अपीलार्थीया को न तो पत्थरगढी की जानकारी हुई न ही मौका पर्चा बनाते समय अपीलार्थीया उपस्थित थी। रेस्पोडेण्ट द्वारा दिनांक 11.4.2018 को मौका पर्चा बनाया जाना बताया व न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 18.5.2018 को बिना अपीलार्थीया को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो निरस्त योग्य है।

8. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलार्थीया अपनी भूमि पर काबिज होकर वर्षो से उपयोग उपभोग करती चली आ रही है। अपीलार्थीया द्वारा किसी भी प्रकार से रेस्पोडेण्ट की भूमि पर अतिक्रमण किया है न ही कब्जा कर रखा है। अपीलार्थीया स्वयं की भूमि पर ही काबिज होकर उपयोग उपभोग करती चली आ रही है। उक्त भूमि ही अपीलार्थीया की जीविकोपार्जन का एकमात्र साधन है। अधीनस्थ न्यायालय की पालना में यदि अपीलार्थीया को उसके कब्जेसुदा भूमि से बेदखल कर दिया गया तो अपीलार्थीया के भूखे मरने की नौबत आ जायेगी व अपीलार्थीया न्याय से महरूम हो जायेगी । अतः अपील

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

अपीलार्थी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.5.2018 को निरस्त की जावे एवं प्रकरण में अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जावे।

9. प्रत्यर्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अपीलार्थी की अपील को मियाद के बिन्दु पर खारिज की जावे एवं साथ ही निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण जो निर्णय पारित किया है वह विधिवसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जावे।

10. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, राजस्व रेकार्ड का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया । अपीलार्थी ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद मानने का निवेदन किया । अपीलार्थी ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है। वह सदभाविक एवं संतोषप्रद होने के कारण अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलार्थीया अन्दर मियाद मानी जाती है।

11. प्रत्यर्थीया/वादिया ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा भगवानपुरा पटवार हल्का फलासिया तहसील जहाजपुर में कृषि आराजी खसरा संख्या 992/861 रकबा 04 बीघा 02 बिस्वा वर्तमान राजस्व रेकार्ड में वादीया के नाम पर बसामलात दर्ज होकर उक्त कुलिया आराजी में मौके पर वादीया ही पूर्ण रूप से काबिज काश्त है। वादीया ने उपखण्ड अधिकारी, जहाजपुर के न्यायालय में वादग्रस्त आराजी की पत्थरगढी बाबत वाद पत्र प्रस्तुत किया । जिसके प्रकरण संख्या 171/2017 होकर माननीय न्यायालय ने दिनांक 17.10.2017 को पत्थरगढी का

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

आदेश पारित किया । जिस पर दिनांक 11.4.2018 को हल्का गिरदावर बावडी द्वारा मोके पर पत्थरगढी की गई और मौके पर पत्थर बतौर निशानात स्थापित किये गये एवं मौका पर्चा बनाया गया । दौराने पत्थरगढी गिरदावर महोदय ने वादिया को बताया कि वादग्रस्त आराजी की एक ओर की मेड पर से प्रतिवादिया का का लगभग 1 बीघा 07 बिस्वा पर कब्जा है। जिसने शक्ति के बल पर कब्जा कर रखा है। वादिया ने मौका पर्चा पत्थरगढी की नकल प्राप्त करने के उपरान्त दिनांक 20.4.2018 को प्रतिवादीया को वादीया के हक हिस्से की आराजी से कब्जा छोडने बाबत कहा तो प्रतिवादिया ने कहा कि 2–3 दिन के अन्दर कब्जा छोड देगी। उसके उपरान्त जब वादिया ने प्रतिवादिया को कब्जा छोडने के लिए कहा तो वह एवं उसके परिजनों के साथ आई एवं झगडा करने लगी तथा मरने मारने पर आमादा हुई व कहा कि कब्जा नहीं हटाउंगी । प्रतिवादिया प्रभावशाली और लडाकू महिला है। अतः वादग्रस्त आराजी में वादिया के हक हिस्से की आराजी में से प्रतिवादिया द्वारा 1 बीघा 07 बिस्वा आराजी पर अनाधिकृत कब्जे को प्रतिवादिया से वादिया को दिलाये जाने की डिकी पारित की जावे एवं प्रतिवादिया को पाबन्द किया जावे कि वह वादिया की वादग्रस्त आराजी में किसी प्रकार से दखलन्दाजी न तो स्वयं करें एवं न ही किसी अन्य से करावे।

12. अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र दिनांक 7.5.2018 को दर्ज रजिस्टर किया गया एवं प्रतिवादी को सम्मन जारी किये जाने वास्ते जवाब के साथ ही प्रकरण में आगामी तारीख पेशी दिनांक 18.5.2018 नियत की गई।

13. आगामी तारीख पेशी दिनांक 18.5.2018 को प्रकरण को न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प में रखा गया । जहॉ प्रतिवादिया के अनुपस्थित रहनेसे उसके विरूद्ध एकतरफा

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई है। नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त की पालना में उभयपक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त उपलब्ध साक्ष्य, दस्तावेज का अवलोकन कर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया जाता है। अपीलाधीन प्रकरण में अपीलार्थी का कथन है कि उसे अधीनस्थ न्याालय द्वारा जारी सम्मन की प्रोपर तामील नहीं हो पाई थी। जिससे वह अपना पक्ष अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत नहीं कर पाई थी।

14. प्रत्यर्थीया/वादिया द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में जिस पत्थरगढी के पर्चा मौका के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त पर्चा मौका दिनांक 11.4.2018 को बनाया गया है। उक्त पर्चा मौका में अपीलार्थीया/प्रतिवादिया के हस्ताक्षर अथवा अंगूठा निशानी नहीं है। जबकि पत्थरगढी के समय पक्षकारान की उपस्थिति किया जाना आवश्यक है। यद्यपि उक्त पर्चा मौका में यह अंकित किया गया है कि ''प्रतिवादी छगु पत्नी छोटू धाकड निवासी माताजी का खेडा को सूचना पत्र के जरिये सूचित किया गया लेकिन छगु पत्नी छोटू धाकड ने सूचना पत्र पर हस्ताक्षर करने से बालीूराम व रामा लाल के सामने मना किया।परन्तु अधीनस्थ न्यायालय में प्रत्यर्थीया/वादिया ने सूचना पत्र की फोटो प्रति प्रस्तुत नहीं की है। जबकि अपीलार्थीया का कथन है कि उसे पत्थरगढी की मौका पर्चा बनाने की कोई सूचना नहीं दी गई।

15. चूंकि मूल वाद में उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उपलब्ध साक्ष्य, दस्तावेज के आधार पर निर्णय पारित किया जाता है। अपीलाधीन प्रकरण में नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त की पालना नहीं की गई है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का समर्थन नहीं किया जा सकता है।

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

16. अतः अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.5.2018 को खारिज किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में उभयाक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त उपलब्ध साक्ष्य, दस्तावेजात, का अवलोकन कर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया जावे। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 17/3/20 को पेश हो।

17. निर्णय आज दिनांक 7.2.2020 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(कैलाश चन्द लखारा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chandra Lakhara
Date: 2020.02.07 17:52:34 IST
Reason: SelfAttested
Location: